# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13/2021

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| अशोक पुत्र श्रवणराम जाति कुम्हार निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। | | 1 पुष्पा उर्फ छोटी देवी पुत्री रूपाराम पत्नी रामजीवन<br>2 मोहनी पुत्री रूपाराम पत्नी मनोहरलाल<br>3 कोशल्या पुत्री रूपाराम पत्नी राजेन्द्र<br>4 श्रवणराम पुत्र रूपाराम<br>5 भंवरी पत्नी रूपाराम जातियान कुम्हार निवासीगण खींवसर तहसील खींवसर 6 तहसीलदार खींवसर 7 निरमा पुत्री श्रवणराम जाति कुम्हार 8 पप्पूराम पुत्र श्रवणराम जाति कुम्हार नाबालिग 9 सुगना पुत्री श्रवणराम जाति कुम्हार नाबालिग रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया व संरक्षिका माता लीला पत्नी श्रवणराम जाति कुम्हार<br>10 लीला पत्नी श्रवणराम जाति कुम्हार निवासीगण खींवसर। |

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से।
3. श्री भगवंतराम खुडीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04 से 05 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश पुनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से।
5. श्री जितेन्द्र कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 से 10 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 31.01.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा खींवसर के प्रकरण संख्या 146/21 आदेश दिनांक 01.02.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.03.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दिनांक 15.03.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 03 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री भंगवतराम खुडीवाल अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से श्री ओमप्रकाश पुनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 से 10 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 146/21 की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर के प्रकरण संख्या 117/18 के निर्णय दिनांक 03.12.2020 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रार्थना पत्र संख्या 1816/21 के फर्द अहकाम दिनांक 27.01.2022 से 30.03.2022 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अप्रार्थी कौशल्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 1816/21 के निर्णय दिनांक 07.07.2023 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16078/23 के निर्णय दिनांक 01.03.2024 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर के प्रकरण संख्या 117/18 के फर्द अहकाम दिनांक 30.10.18 से 05.11.20 तक की फोटोप्रति, वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से मौजा खींवसर की जमाबंदी संवत 2071 से 74 की फोटोप्रति, मौजा खींवसर के खसरा नम्बर 8019/1435 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण संख्या 223/20 के फर्द अहकाम दिनांक 14.12.20 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16078/23 के निर्णय दिनांक 01.03.2024 की फोटोप्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रकरण संख्या 1816/21 के फर्द अहकाम दिनांक 27.01.2022 की फोटोप्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 1816/21 के निर्णय दिनांक 07.07.2023 की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 05/12 के निर्णय दिनांक 30.05.23 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

31/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी व न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया, आदेश 01.02.2021 को पारित किया गया, जिसकी अपील पेश करने की निर्धारित समयावधि 30 दिवस है, जो दिनांक 02.03.2021 तक है तथा नकल अपीलार्थी को दिनांक 02.03.2021 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 03.03.2021 को अपीलार्थी नागौर आया। इसलिए यह अपील दिनांक 04.03.2021 की पेश की गई, जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)– प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने जानबूझकर तथ्य छिपाकर उक्त आवेदन पेश किया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के साथ मिलावट कर गलत रूप से कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करवाया है। आवेदन पत्र पेश होने पर सर्व प्रथम आदेशिका दिनांक 27.01.2021 को दर्ज की गई, जिस पर पत्रावली दर्ज करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया व सर्वप्रथम आदेशिका में अंकन किया कि राजकीय पक्ष के सन्दर्भ में रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का व निरीक्षक भू अभिलेख से ली जाकर पत्रावली पुनः पेश हो, जिस पर दिनांक 27.01.2021 के पश्चात न तो पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली पर पेश हुई व न ही भू अभिलेख निरीक्षक की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर पेश हुई, बल्कि जो आवेदन पत्र बन्टवाडा फार्म में लिखित में पेश किया गया, उसी में दिनांक 25.01.2021 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट अंकित की गई व उसी पर भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अंकित हुई, जिस पर भी दिनांक 25.01.2021 अंकित है तथा पत्रावली के तत्पश्चात की आदेशिका भी दिनांक 25.01.2021 को लिखी गई, जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अंकन है तथा उसी अनुसार निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली करने का अंकन किया गया है तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति भिजवाने का अंकन किया गया है, जबकि सर्व प्रथम आदेशिका 27.01.2021 की है, जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसके पश्चात की आदेशिका 27.01.2021 के बाद की होनी चाहिए थी, परन्तु आदेशिका 25.01.2021 की अंकित है तथा दिनांक 27.01.2021 के आदेश से पहले ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रस्तुत हो गयी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट भी पहले ही पेश हो गयी तथा दिनांक 25.01.2021 का कोई निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है तथा उसी दिन निर्णय लिखा जाना अंकित किया गया है, जबकि बंटवाडा फार्म की पुस्त पर तहसीलदार आदेश दिनांक 01.02.2021 अंकित है, जो सभी तथ्य एक दूसरे से विरोधाभाषी है तथा उक्त तथ्यों से पूर्णतया प्रकट होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध तरीके से मिलावट कर पारित की गई है तथा विधिक प्रावधानों की किसी प्रकार की कोई पालना नहीं की गई है। इसलिए भी कार्यवाही व आदेश अवैध रूप से पारित किया गया होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)– उक्त खेताय के संबंध में जब पहले से ही सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा उक्त वाद में साक्ष्य दोनों पक्षो के हक व अधिकार तय होने है तो ऐसी स्थिति में जब सक्षम न्यायालय में घोषणा विभाजन इत्यादि का वाद विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अस्थायी निषैधाज्ञा आदेशा पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का तहसीलदार खींवसर को पहले से रही है तथा उक्त वाद में तहसीलदार खींवसर भी पक्षकार है, ऐसी स्थिति में जब विधिवत रूप से वाद विचाराधीन रहता है तो धारा 53 के तहत जोत का विभाजन नहीं किया जा सकता है, ऐसा करना उक्त वाद को निष्फल करने की श्रेणी में आता है। सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर मिलावट कर की गई है तथा केवल मात्र अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 को उनके हक व अधिकार से वंचित करने की नीयत से की गई है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध रूप से की गई है, इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय अवैध रूप से पारित किया गया होने से अपास्त होने योग्य है।

31/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–विचाराधीन राजस्व वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 भी पक्षकार है, जिन्होने जानबूझकर विचाराधीन वाद के तथ्यो को छिपाकर गलत रूप से विभाजन हेतु उक्त आवेदन पेश किया व जानबूझकर कब्जे की स्थिति व पूर्व में दर्ज प्रकरण के तथ्य को छिपाते हुए मात्र अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 को उनके हक हिस्से से वंचित करने की नियत से यह आदेश पारित करवाया है, इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–पटवारी हल्का ने मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। खेत का मौके पर किसी प्रकार का कोई विभाजन किया हुआ नहीं है तथा खसरा नम्बर 1435/1 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 2430/1730 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी पर कब्जा काश्त व रहवास अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 का है, इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि. नागौर के समक्ष विचाराधीन भरण पोषण वसूली प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट से भी होती है, जिसमें स्वयं पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त दोनों खसरा पर कब्जा काश्त अपीलार्थी की माता का होना अंकित किया है। मौके पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 का नहीं है फिर भी उन्होंने मिलावट कर गलत रूप से आदेश पारित करवाया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)– प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित भूमि के संबंध में राजस्व वाद विचाराधीन है, जिससे अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 पक्षकार है, जिन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उन्हे हक हिस्से से महरूम करने की नियत से उक्त बंटवाडा करवाया गया है, ताकि उनकी भूमि को हडप किया जा सके एवं उन्हे बंदखल किया जा सके तथा हक हिस्से से महरूम किया जा सके, इसी नियत से विभाजन आदेश पारित करवाया है, जिस आदेश से अपीलार्थी का हक व अधिकार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है तथा निर्णय से प्रभावित पक्षकार है तथा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है ।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त बंटवाडा आपसी सहमति से किया है, जिसमें अपीलांट के पिता के हस्ताक्षर भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बंटवाडा विधि अनुसार किये जाने से अपील खारिज की जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा खींवसर के प्रकरण संख्या 146/21 आदेश दिनांक 01.02.2021 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौके पर विभाजन को लेकर नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। बंटवाडा पर रेकर्डेड खातेदारों के अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर है, जो तहसीलदार से प्रमाणित है। बंटवाडा आदेश दिनांक 01.02.2021 में अपीलांट के पिता की सहमति से आदेश पारित किया गया है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बंटवाडा रेकर्डेड खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से ही किया गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर